न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार ।** (RAS)

राजस्व वाद–पत्र संख्या :– **128 / 2023** GCMS 2024/240

वादी :–

1. चुका देवी पत्नी गणेश जाति मेघवाल निवासी प्रेमपुरा तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन

प्रतिवादीगण :–

1. जवाहरी देवी पत्नी मंगलाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम काकोट तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन
2. नायब तहसीलदार चितावा
3. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी

दावा इस्तकरार खातेदारी दर्ज करने बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– वकील बिरमाराम चौधरी वादी की ओर से
प्रतिवादी संख्या 01 व 02

–:निर्णय :–

दिनांक :– 19/02/2025

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि मौजा ग्राम प्रेमपुरा पटवार हल्का शिव, तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 145 रकबा 0.2700 हैक्टयर, खसरा नम्बर 182 रकबा 0.5800 हैक्टयर, खसरा नम्बर 428 / 186 रकबा 0.6600 हैक्टयर कुल खसरे 03 कुल रकबा 1.5100 हैक्टयर में से रकबा 0.0809 हैक्टयर वादीया की खरीदशुदा कृषि भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबंदी एवं बेचनानामा बतौर सबूत वाद पत्र के साथ संलग्न है। वादिया द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 से मौजा ग्राम प्रेमपुरा पटवार हल्का शिव तहसील कुचामन सिटी की सहरद में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 145 रकबा 0.2700 हैक्टयर, खसरा नम्बर 182 रकबा 0.5800 हैक्टयर, खसरा नम्बर 429 / 186 रकबा 0.6600 हैक्टयर कुल खसरे 03 कुल रकबा 1.5100 हैक्टयर में से रकबा 0.0809 हैक्ट[illegible] पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय चितावा में दिनांक 05.12.2022 को [illegible] संख्या 01 जिल्द संख्या 02 में पृष्ठ संख्या 85 क्रम संख्या 202203541002[illegible] पंजीबद्ध किया गया है। वादिया द्वारा खरीद दिन से मौके पर [illegible] आ रही है तथा [illegible] अपने हक हिस्से की कृषि भूमि के चारों ओर [illegible] सींव कायम कर रखी [illegible] वादिया द्वारा खरीद की गई कृषि भूमि के अब वर्तमान खसरा नम्बर 522 / 145 रकबा 0.0200 हैक्टयर, खसरा नम्बर 525 / 517 रकबा 0.0610 हैक्टयर कुल खसरे 2 कुल रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:44.51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी डीडवाना-कुचामन

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

0.0810 हैक्टयर की खातेदारी की कृषि भूमि का खातेदारी दर्ज कराने का अधिकारी है।

वादी वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के सम्मन तामिल होकर शामिल मिसल किये गये। अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 01 व वादी ने उपस्थित होकर वाद में राजीनामा पेश किया। जो शामिल मिसल किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादिया ने प्रतिवादी संख्या 01 से मौजा ग्राम प्रेमपुरा के गत खसरा नम्बर 145, 182, 429 / 186 रकबा 1.5100 हैक्टयर में से जरिए बेचाननामा भूमि रकबा 0.0809 हैक्टयर खरीद की थी। तथा उक्त खरीदशुदा भूमि पर वादिया का खरीद के समय ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादिया द्वारा उक्त खरीदशुदा भूमि का नामान्तरण सहवन से भूलवश राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं हुआ तथा प्रतिवादी संख्या 01 ने उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में व मौके पर भू विभाजन करवा लिया तथा वादिया को उक्त खरीदशुदा भूमि के नवीन खसरा नम्बर 522 / 145 रकबा 0. 200 हैक्टयर व 525 / 517 रकबा 0.0610 हैक्टयर कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.0810 हैक्टयर में वादिया को खातेदारी दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। वादीया ने विवादग्रस्त भूमि जरिए बेचाननामा खरीद की थी, लेकिन उक्त बेचाननामा का राजस्व रेकर्ड में अमल नहीं हो पाया। ग्राम प्रेमपुरा पटवार मण्डल शिव तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 522 / 145 रकबा 0. 0200 हैक्टयर, खसरा नम्बर 525 / 517 रकबा 0.0610 हैक्टयर कुल खसरे 02 कुल रकबा 0.810 हैक्टयर में वादीया चुका देवी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होने से वाद पत्र स्वीकार किया जाकर निम्नलिखित प्रकार से वाद अंतिम डिक्री किया जाता है :–

–: आदेश :–

वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाकर ग्राम प्रेमपुरा पटवार मण्डल शिव तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 522 / 145 रकबा 0.0200 हैक्टयर, खसरा नम्बर 525 / 517 रकबा 0.0610 हैक्टयर कुल खसरे 02 कुल रकबा 0.810 हैक्टयर में वादीया चुका देवी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। अंतिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। तहसीलदार कुचामन सिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक......... को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:44:51 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार I R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

डिक्री मुकदमा इब्तेदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला–डीडवाना–कुचामन (राज.)

बईजलास :– **श्री सुनील कुमार ।** (RAS)

राजस्व वाद–पत्र संख्या :– **128 / 2024** GCMS 2024/240

वादी :–

1. चुका देवी पत्नी गणेश जाति मेघवाल निवासी प्रेमपुरा तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन

प्रतिवादीगण :–

2. जवाहरी देवी पत्नी मंगलाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम काकोट तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन
3. नायब तहसीलदार चितावा
4. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी

दावा इस्तकरार खातेदारी दर्ज करने बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री बिरमाराम चौधरी अधिवक्ता हाजिरी............. मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाकर ग्राम प्रेमपुरा पटवार मण्डल शिव तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 522 / 145 रकबा 0.0200 हैक्टयर, खसरा नम्बर 525 / 517 रकबा 0.0610 हैक्टयर कुल खसरे 02 कुल रकबा 0.810 हैक्टयर में वादीया चुका देवी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। अंतिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। अंतिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निज .... मुबलिग .... बाबत....................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद भारह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 19......माह 02........ सन् 2025......... को जारी की गई।

दस्तखत............ उपखण्ड अधिकारी

ओहदा............ कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

(मुहर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			[illegible]र्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्त[illegible]किल		
महन्ताना वकिल			[illegible]		
खर्चा गवाहन			[illegible] कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			[illegible] इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			[illegible]रिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:44:51 IST
Reason: SelfAttested

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी

कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)